

II. उप शीर्ष जिनके अंतर्गत यह अनुपूरक अनुदान उद्यान

II. Sub Heads under which this supplementary grant will be accounted for on behalf of HORTICULTURE

मांग संख्या 12 उद्यान
HORTICULTURE

(रूपये में) (Figures. In Rupees)

Supplementary Estimates 2020-2021

अनुपूरक अनुदान राशि 2020-2021

लेखा शीर्ष MAJ-SMJ-MIN-SMN-BUD-SOE-V/C	विवरण Description	योजना Plan	गैर योजना Non-Plan	अधिकता के कारण Reason
	[T] मांग संख्या	867411809	0	
	V	867411809	0	
	[T] राजस्व भाग	867411809	0	
	V	867411809	0	
S00N	[T] राज्य स्कीम	867411809	0	
	V	867411809	0	
2401	[T] फसल कृषि-कर्म	824626000	0	
	V	824626000	0	
2401-00	[T]	824626000	0	
	V	824626000	0	
2401-00-119	[T] बागवानी तथा वनस्पती फसलें	824626000	0	
	V	824626000	0	
2401-00-119-56	[T] उद्यान एकीकृत विकास मिशन	24625000	0	
	V	24625000	0	
2401-00-119-56-S00N	[T] राज्य स्कीम	24625000	0	
	V	24625000	0	
BudId:{17151} 63	[T] उपदान	24625000	0	
	V	24625000	0	यह अतिरिक्त राशि संरक्षित खेती योजना के अंतर्गत बागवानों को अतिरिक्त उपदान देने हेतु अपेक्षित है।
2401-00-119-57	[T] उद्यान विकास परियोजना	800000000	0	
	V	800000000	0	
2401-00-119-57-S00N	[T] राज्य स्कीम	800000000	0	
	V	800000000	0	

Supplementary Estimates 2020-2021

अनुपूरक अनुदान राशि 2020-2021

लेखा शीर्ष MAJ-SMJ-MIN-SMN-BUD-SOE-V/C	विवरण Description	योजना Plan	गैर योजना Non-Plan	अधिकता के कारण Reason
BudId:{15865} 42	[T] सहायता अनुदान (अवेतन) V	800000000 800000000	0 0	
2401-00-119-62	[T] प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना V	1000 1000	0 0	
2401-00-119-62-S00N	[T] राज्य स्कीम V	1000 1000	0 0	
BudId:{17088} 63	[T] उपदान V	1000 1000	0 0	
2415	[T] कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा V	42785809 42785809	0 0	
2415-01	[T] फसल कृषि-कर्म V	42785809 42785809	0 0	
2415-01-004	[T] अनुसंधान V	42785809 42785809	0 0	
2415-01-004-03	[T] डा० यशवंत सिंह परमार उद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान V	42785809 42785809	0 0	
2415-01-004-03-S00N	[T] राज्य स्कीम V	42785809 42785809	0 0	
BudId:{3311} 41	[T] सहायता अनुदान (वेतन) V	42784809 42784809	0 0	
BudId:{18612} 42	[T] सहायता अनुदान (अवेतन)	1000	0	

यह अतिरिक्त राशि विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उद्यान विकास परियोजना को संचालित करने हेतु अपेक्षित है।

यह आंशिक प्रावधान प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कम आय वाले बागवानों को अतिरिक्त उपदान देने हेतु अपेक्षित है। शेष राशि पुनर्वियोजन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

यह अतिरिक्त राशि डॉ. वाई. एस. परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय को कर्मचारियों की प्रतिबद्ध देनदारियों के निपटान हेतु अपेक्षित है। शेष राशि पुनर्वियोजन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

Supplementary Estimates 2020-2021

अनुपूरक अनुदान राशि 2020-2021

लेखा शीर्ष MAJ-SMJ-MIN-SMN-BUD-SOE-V/C	विवरण Description	योजना Plan	गैर योजना Non-Plan	अधिकता के कारण Reason
BudId:{18612} 42	V	1000	0	यह आंशिक प्रावधान राशि डॉ. वार्ड. एस. परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय को संस्थागत विकास योजना को कार्यान्वित करने हेतु राज्य भाग के रूप में अपेक्षित है। शेष राशि पुनर्वियोजन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।